11/01/23 इश्तिहार प्रार्थी अनुपालित। आवाज लगवाई गई। इश्तिहार प्रार्थी अथवा प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं न ही विपक्षीगण की तलबी के नोटिस ही प्रस्तुत किए गए। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुमार हेमदर नम्बर से कायम हो एवं बाद पत्रावली 34/2021 के साथ अलग हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner